

न्यायालय मध्यस्थ (जिला कलक्टर), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – भगवती प्रसाद, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 31/2017

प्रार्थी / अपीलार्थी :-

श्री चांदमल पिता श्री रूपचन्दजी
जैन, उम्र 60 वर्ष, जाति जैन,
निवासी तेजपुर तहसील व जिला बानाम
बांसवाड़ा (राज)

अप्रार्थी / रेस्पोंडेंट्स:-

1. भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
राजमार्ग सं.113, बांसवाड़ा।
2. तहसीलदार, तहसील बांसवाड़ा।
3. सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) एवं
उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपठित धारा 26, 28,
29 व 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land
Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

प्रतिकर की राशि के विनिर्धारण हेतु

उपस्थित

श्री हीरालाल जैन,
-अधिवक्ता प्रार्थी

श्री योगेश सोमपुरा,
-अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक :- 22-03-2018

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, प्रार्थी के निजी स्वामित्व व आधिपत्य के आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 880 की आवासीय भूमि जिसका क्षेत्रफल 2500 वर्गफीट में से 1960 वर्गफीट भूमि पर ग्राउण्ड फ्लोर पर आर.सी.सी. में निर्मित मकान एवं उक्त भूमि में एक बोरिंग व भोश 540 वर्गफीट खुली भूमि वाके मुख्य सड़क (स्टेट हाईवे) तेजपुर तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित है। प्रार्थी के निजी स्वामित्व व आधिपत्य के आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 879 की आवासीय भूमि जिसका क्षेत्रफल 780 वर्गफीट में से 130 वर्गफीट खुली भूमि व 650 वर्गफीट भूमि पर दो मंजिला गडर पट्टी में निर्मित मकान जिसमें ग्राउण्ड फ्लोर में निर्मित एरिया 650 वर्गफीट व प्रथम मंजिल में निर्मित एरिया 650 वर्गफीट इस प्रकार कुल निर्मित एरिया 1350 वर्गफीट वाके मुख्य सड़क (स्टेट हाईवे) तेजपुर तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित है। प्रार्थी के खातेदारी की आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 875/2 (आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 1673/875) की रकबा 05 बिस्वा आबादी भूमि वाके तेजपुर तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित



है। प्रार्थी के खातेदारी की आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 878/2 की रकबा 06 बिस्वा आबादी भूमि वाके तेजपुर तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 113 प्रतापगढ से पाडी खण्ड मे आने वाली भूमि को अवाप्त की जाने की अधिसूचना से 212 (अ) नई दिल्ली दिनांक 08.09.2012 को अखबार मे प्रकाशित हुई थी जिसमे तेजपुर के आराजी सर्वे नं. 880, 875 को अवाप्त की जाने की अधिसूचना प्रकाशित हुई है तथा सर्वे नं. 878, 879 की भूमि भी अवाप्त की जा रही है। गांव तेजपुर का आराजी सर्वे नं. 880 में से प्रार्थी की 1680 वर्गफीट भूमि (627 वर्गफीट खुली भूमि + 1053 वर्गफीट निर्मित मकान) व 1053 वर्गफीट भूमि पर आर.सी.सी. में निर्मित मकान, एक बोरिंग, सर्वे नं. 879 में से प्रार्थी की भूमि 390 वर्गफीट व उस पर दौ मंजिला निर्मित मकान मय 130 वर्गफीट खुली भूमि व सर्वे नं. 875/2 (आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 1673/875) में से 4360 वर्गफीट भूमि तथा 878/2 में से 1790 वर्गफीट भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त की जा रही है। उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के बाद प्रार्थी ने नियमानुसार आपत्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बाँसवाडा के वहां आपत्ति पेश की थी, जिसमें उपखण्ड अधिकारी बाँसवाडा द्वारा तहसीलदार बाँसवाडा से मौके व रेकॉर्ड की जांच कराई गई। जिसमें जांच रिपोर्ट में गांव तेजपुर का आराजी सर्वे नं. 880 में से प्रार्थी की 1680 वर्गफीट भूमि (627 वर्गफीट खुली भूमि + 1053 वर्गफीट निर्मित मकान) व 1053 वर्गफीट भूमि पर आर.सी.सी. में निर्मित मकान, एक बोरिंग, सर्वे नं. 879 में से प्रार्थी की भूमि 390 वर्गफीट व उस पर दौ मंजिला निर्मित मकान मय 130 वर्गफीट खुली भूमि व सर्वे नं. 875/2 (आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 1673/875) में से 4360 वर्गफीट भूमि तथा 878/2 में से 1790 वर्गफीट भूमि अवाप्त किये जाने के संबंध में रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी महोदय बाँसवाडा को रिपोर्ट पेश की गई। प्रार्थी उक्त दोनो मकानो व भूमि का स्वामी है तथा अपने मकान व भूमि का Arbitrator के द्वारा अवधारण (Adjudication) चाहता है। इस कारण मामले में अवधारण कराने का प्रार्थी को कानूनन हक प्राप्त है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(जी)(7) में अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु स्पष्ट प्रावधान है। जिसमें भूमि के डी.एल.सी. मूल्य की दौ गुना राशि कर तथा उक्त दुगुनी राशि का 100 प्रतिशत तोषण (सोलेशियम) कर अवाप्ति से हुई क्षतियो को ध्यान में रख कर अवाई पारीत किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने अधिसूचना संख्या 2112 (अ)/नई दिल्ली दिनांक 08.09.2012 को अखबार मे प्रकाशन के बाद अविलम्ब भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बाँसवाडा के यहां आपत्ति भी दर्ज करा दी थी। उक्त आपत्ति के बाद भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बाँसवाडा द्वारा मौके व रेकॉर्ड की जांच कराई तथा उक्त जांच रिपोर्ट के बाद भी प्रार्थी को अपने मकानात व भूमि की मुआवजा राशि प्रार्थी को अदा नही की है। उक्त अवाप्त की गई भूमि व उससे लगी हुई कुल भूमि का मुआवजा नियमानुसार अभी तक प्रार्थी को अदा नही किया गया है। इस कारण भू-अवाप्ति की कुल कार्यवाही Lapse हो चुकी है। इस कारण नियमानुसार आज की मार्केट वेल्यू के हिसाब से व भू-अवाप्ति अधिनियम व नियमो के अनुसार मय समस्त लाभो व परिलाभो व ब्याज सहित अदा की जाने योग्य है।




(Signature)
 भगवती प्रसाद
 निता कान्कर
 जयपुर


इस कारण नियमानुसार उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थी को अदा करने का एवार्ड जारी करने के आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक है, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा -

(1) 2016 DNJ (SC) 507, Aligarh Development Authority Vs Maghsingh & Others

(2) 2016 DNJ (SC) 468 Shakuntala Yadav & Ors Vs State of Hariyana & Ors व अनेकानेक न्यायिक उद्धरणों में वैधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं।

प्रार्थी के निजी स्वामित्व व आधिपत्य के आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 880 की आवासीय भूमि जिसका क्षेत्रफल 2500 वर्गफीट में से 1960 वर्गफीट भूमि पर निर्मित मकान वाके तेजपुर तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित के सम्बन्ध में प्रार्थी के मकान की 1053 वर्गफीट भूमि अवाप्त की जा रही हैं लेकिन प्रार्थी का उक्त 1960 वर्गफीट भूमि पर निर्मित पुरा मकान ध्वस्त हो रहा हैं तथा इसी प्रकार आराजी सर्वे नं. 879 की आवासीय भूमि जिसका क्षेत्रफल 780 वर्गफीट में से 650 वर्गफीट भूमि पर निर्मित मकान वाके तेजपुर तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित के सम्बन्ध में प्रार्थी के मकान की 390 वर्गफीट भूमि अवाप्त की जा रही हैं लेकिन प्रार्थी का उक्त 1300 वर्गफीट भूमि पर निर्मित पुरा मकान ध्वस्त हो रहा हैं, इस कारण प्रार्थी अपने पुरे मकानों की क्षति का मुआवजा पाने का अधिकारी हैं। वर्तमान में उक्त सर्वे नं. 880 में से प्रार्थी की 1680 वर्गफीट भूमि (627 वर्गफीट खुली भूमि + 1053 वर्गफीट निर्मित मकान) आबादी भूमि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का 2 गुना कर उक्त भूमि का मुआवजा रूपया 8,06,400/- अक्षरे आठ लाख छः हजार चार सौ रूपया व उस पर निर्मित मकान 1960 वर्गफीट (निर्मित भाग) का निर्धारण वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का 2 गुना कर निर्मित मकान का मुआवजा रूपया 35,28,000/- अक्षरे पैंतीस लाख अट्ठाईस हजार रूपया एवं उक्त भूमि पर बोरिंग कर उस पर मोटर लगी हुई है जिसका निर्धारण रूपया 2,00,000/- अक्षरे दौ लाख रूपया तथा सर्वे नं. 879 में से प्रार्थी की आबादी भूमि 520 वर्गफीट का वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का 2 गुना कर उक्त भूमि का मुआवजा रूपया 2,49,600/- अक्षरे दौ लाख उनपचास हजार छः सौ रूपया एवं उस पर निर्मित दो मंजिला मकान 1300 वर्गफीट (निर्मित भाग) का वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का 2 गुना कर उक्त भूमि का मुआवजा रूपया 15,60,000/- अक्षरे पन्द्रह लाख साठ हजार रूपया एवं सर्वे नं. 875/2 (आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 1673/875) में से आबादी भूमि 4360 वर्गफीट का निर्धारण वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का 2 गुना कर उक्त भूमि का मुआवजा रूपया 20,92,800/- अक्षरे बीस लाख बराणवे हजार आठ




 अजयप्रसाद
 निष्ठा कम्प्यूटर
 अजयप्रसाद


सौ रूपया व सर्वे नं. 878/2 में से आबादी भूमि 1790 वर्गफीट का निर्धारण वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का 2 गुना कर उक्त भूमि का मुआवजा रूपया 8,59,200/- अक्षरे आठ लाख उनसाठ हजार दौ सौ रूपया होता है तथा उक्त कुल राशि रूपया रूपया 92,96,000/- अक्षरे बराणवे लाख छियाणवे हजार रूपया का 100 प्रतिशत तोषण दिया जाना आवश्यक है तथा 100 प्रतिशत तोषण की राशि रूपया 92,96,000/- अक्षरे बराणवे लाख छियाणवे हजार रूपया होती है। इस प्रकार कुल रकम रूपया 1,85,92,000/- अक्षरे एक करोड़ पिचायासी लाख बराणवे रूपया एवं उक्त रकम पर अधिसूचना की तिथी से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्रार्थी पाने का अधिकारी है।

अतः प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा उठाई गई उपरोक्त आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना-पत्र को धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम व धारा 26, 28, 29 व 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधानों के अधिन प्रार्थी के पक्ष में एवं प्रत्यर्थागण के विरुद्ध निम्न आशय का अवार्ड पारीत करावे कि :-

- (क) यह कि, प्रार्थी की उक्त जायदाद का प्रचलित बाजार मुल्य की 2 गुना की दर से रूपया 92,96,000/- अक्षरे बराणवे लाख छियाणवे हजार रूपया का 100 प्रतिशत तोषण दिया जाना आवश्यक है तथा 100 प्रतिशत तोषण की राशि रूपया 92,96,000/- अक्षरे बराणवे लाख छियाणवे हजार रूपया होती है। इस प्रकार कुल रकम रूपया 1,85,92,000/- अक्षरे एक करोड़ पिचायासी लाख बराणवे रूपया या अन्य रकम जो वाजिब बनती है, वह मुआवजा दिलाया जावे व अन्य परिलाभ जो कानूनन प्रार्थी पाने का अधिकारी है, वह भी दिलाया जावे।
- (ख) यह कि, कुल राशि रूपया रूपया 1,85,92,000/- अक्षरे एक करोड़ पिचायासी लाख बराणवे रूपया पर नियमानुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज ताअदायगी दिलाया जावे।
- (ग) यह कि, इस मामले का व्यय व पारिश्रमिक अभिभाषक प्रार्थी को प्रत्यर्थागण से दिलाया जावे।
- (घ) यह कि, अन्य अनुतोष जो न्यायहित में आवश्यक हो प्रार्थी को प्रत्यर्थागण से दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया।




 अमरपाल प्रसाद
 जिला कलेक्टर
 पंजाब

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 क की उप धारा (1) के अधीन भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 08-09-2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है, जिसकी नियमानुसार अधिनियम की धारा 3 (C) के तहत आपत्तियां आमन्त्रण के पश्चात प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अधिनियम की धारा 3 (D) की अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई। मामले में नियमानुसार अधिनियम की धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत धारा 3 (क) की अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक 08-09-2012 को प्रचलित बाजार दर के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है, जो सही होकर नियमानुसार है। अतः आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आर्बिट्रेशन की परिधि में नहीं आने से उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है, प्रार्थी ने तथ्यों को छुपा कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी जिस भूमि का प्रार्थना पत्र लेकर पेश हुआ है, उक्त आराजी भूमि का गजट प्रकाशन नियमानुसार अवार्ड पारित होकर उक्त आराजी के मुआवजे का नियमानुसार अवार्ड जारी होने की दिनांक से जमा करा दिया गया, जो कि प्रार्थी के हित के अनुरूप उक्त जमा मुआवजा को पाने की अधिकारी है तथा जिस कारण उक्त आराजी का मुआवजा जारी होने से उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। अवार्ड में स्पष्ट उल्लेखित है कि धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत धारा 3-क की अधिसूचना के गजट प्रकाशन की दिनांक 08-09-2012 को प्रचलित बाजार दरों की सूचना उप पंजीयकों से मंगवाई गई है। डीएलसी दरें का तात्पर्य जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य से है, इसी कारण अवाप्ताधीन भूमि एन. एच. पर स्थित को मान कर प्राप्त डीएलसी की दर से मुआवजा निर्धारण किया गया है। जो सही है। इसके अतिरिक्त For determination of Market value of large track of land for Acquisition, value of small plots is not applicable, AIR 1989 P & H 27 Hukum chand V. Hariyana State में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। अतः यदि कोई प्लॉट (small of Land plote) आता है तो उसका निर्धारण पुरे ट्रेक पर स्थित भूमियों के अनुरूप किया जाएगा। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत अधिग्रहित की गई है, उक्त अधिग्रहित कार्यवाही पर Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, चूंकि उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 क की उप धारा (1) के अधीन भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 08-09-2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिला नगर परिषद् के 15 किमी परिधि में होने वाले अधिग्रहित भूमि पर दोगुना राशि व 100 प्रतिशत तोषण के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत अधिसूचना की दिनांक को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा निर्धारण का प्रावधान है, जो कि मुआवजे के अवार्ड जारी हो चुके हैं, जिससे प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया।



भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाड़ा द्वारा प्रकरण में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, प्रार्थी खुशपाल जैन की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 के अन्तर्गत ग्राम तेजपुर में निम्नानुसार भूमि अवाप्ति में आ रही है :-

क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म भूमि	अवाप्त क्षेत्रफल (वर्गफीट)	भूमि पर स्थित परिसम्पत्ति
1	879	0.16	आबादी	375	दो मंजिला पक्का मकान, दुकान
2	1673/875	005	आबादी	1980	-
3	1674/878	006	आबादी	2700	-
4	1675/880	003	आबादी	630	पक्का मकान, दुकान बोरिंग

अधिसूचना जारी नहीं होकर अवार्ड पारित नहीं होने से मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन अधिसूचना संख्या 2112 (अ) नई दिल्ली 8 सितम्बर 2012 को समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी की अधिसूचना दिनांक 23.08.2013 को समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार राजस्व ग्राम तेजपुर के उक्त खसरा नम्बरान नहीं हुई हैं। खातेदार श्री चांदमल पिता रूपचन्द जैन निवासी तेजपुर ने अपने नाम ग्राम तेजपुर में स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1673/875 रकबा 5 बीस्वा, खसरा नम्बर 1676/878 रकबा 6 बीस्वा एवं खसरा नम्बर 1675/880 रकबा 3 बीस्वा भूमि का कार्यालय तहसीलदार, बांसवाड़ा द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश क्रमांक राज/2004/41-44 दिनांक 08.12.2004 को आवासीय प्रयोजनार्थ कृषि से अकृषि में रूपान्तरित हुआ है। उक्त आदेश की पालना में ग्राम तेजपुर के नामान्तरकरण संख्या 1372 दिनांक 08-12-2004 द्वारा खातेदार के बजाय श्री-सरकार आबादी दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया गया है। अवाप्तशुदा भूमि का गजट नोटिफिकेशन से पूर्व रूपान्तरण हुआ है। खसरा नम्बर 879 सेटलमेन्ट रेकार्ड से आबादी दर्ज है। परिसम्पत्ति का मूल्यांकन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है।

प्रार्थी श्री चांदमल की ग्राम तेजपुर में स्थित उक्त खसरा नम्बरान में अवाप्तशुदा भूमि का (पारित अवार्ड के अतिरिक्त मौके पर अवाप्ति में आ रही भूमि) पूरक सूची तैयार कर परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग (विश्व बैंक) बांसवाड़ा को मुआवजा राशि उपलब्ध कराने पृथक से प्रस्तुत की जा सकती है। यह विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत होने से सहायता राशि (माइक्रो-प्लान) R&R का निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्वयं सेवी संस्था (NGO)द्वारा किया जाता है।

दिनांक 22-03-2018 को बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना-पत्र को धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम व धारा 26, 28, 29 व 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition,



[Handwritten signature]
 प्रमुख अधिकारी
 बांसवाड़ा


Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधानों के अधिन प्रार्थी मुआवजे की राशि का भुगतान कराया जावे।

विपक्षी संख्या एक की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र मिथ्या एवं बढा चढा कर प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर आधारित होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत आवासीय प्रयोजनार्थ कृषि से अकृषि में रूपान्तरित हुआ है। ग्राम तेजपुर के नामान्तरकरण संख्या 1372 दिनांक 08-12-2004 द्वारा खातेदार के बजाय श्री-सरकार आबादी दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया गया है। अवाप्तशुदा भूमि का गजट नोटिफिकेशन से पूर्व रूपान्तरण हुआ है। खसरा नम्बर 879 सेटलमेन्ट रेकार्ड से आबादी दर्ज है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 के अन्तर्गत भूमि अवाप्त होने से यह विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत होने से सहायता राशि (माईक्रो-प्लान) R&R का निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्वयं सेवी संस्था (NGO)द्वारा किया जाता है। इस प्रकार प्रार्थी को उसकी आवासीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

अतः उक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्नगत आवासीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का नियमानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एवं इससे सम्बद्ध निर्धारित किए गए प्रावधानों के अनुरूप सहायता राशि की गणना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से करवाई जाकर प्रार्थी को अवार्ड एवं सहायता राशि का भुगतान कराया जावे। विपक्षी संख्या 1 भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं. 113, बांसवाड़ा (राज.) को निर्देशित किया जाता है निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी को भुगतान कराया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22-03-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुमती प्रसाद)
जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा